नये हमलों के खिलाफ संघर्ष का आह्वान

सीटू वर्किंग कमेटी ने देश के मजदूर वर्ग का आह्वान किया है कि वह सरकार की वित्त तथा श्रम नीतियों में प्रतिगामी बदलावों का जोरदार प्रतिरोध करें और एकजुट संघर्ष चलाए. सीटू वर्किंग कमेटी की बैठक पिछली 31 मई से 2 जून तक त्रिवेंद्रम में सम्पन्न हुई.

31 मई को सुबह साढ़े नौ बजे सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे द्वारा संगठन का झंडा फहराए जाने के साथ त्रिवेंद्रम के बी जे टी हाल में बैठक की कार्रवाई शुरू हुई. 68 वर्किंग कमेटी सदस्यों तथा कुछ आमंत्रित सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया. बैठक के लिए न आ सके वर्किंग कमेटी सदस्यों में से अनेक ने बीमारी या अन्य व्यस्तताओं के कारण उपस्थित न रह पाने की पूर्व सूचना दी थी.

स्वागत समिति की ओर से इस समिति के अध्यक्ष के एन रवीन्द्र नाथ ने वर्किंग कमेटी सदस्यों तथा अन्य आमंत्रितों का स्वागत किया और सरकार की नीतियों के चलते केरल के परंपरागत उद्योगों की तबाही तथा उसके खिलाफ जारी संघर्ष के बारे में बताया. उन्होंने आशा व्यक्त की कि सीटू वर्किंग कमेटी देश भर में जारी सारे मजदूर संघर्षों को दिशा देगी.

बैठक की कार्रवाई शुरू होने के पहले वर्किंग कमेटी ने एक मिनट का मौन रखकर कामरेड पी सुंदरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की.

इसके बाद वी टी आर के अध्यक्षीय भाषण के साथ बैठक की कार्रवाई शुरू हुई (यह भाषण सीटू मजदूर के पिछले अंक में प्रकाशित हो चुका है).

पी राममूर्ति ने शहीदों के स्मरण का प्रस्ताव रखा. इसके अलावा, वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित कर पी सुंदरैया, कोंस्टेटिन चेरेनेंको, परिमल मित्र, एन वी भास्कर राव, शरदीश राय तथा दूसरे नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की.

पिछली बैठक के लिखित ब्यौरे की पुष्टि के बाद सीटू के महासचिव समर मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ सीटू के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों में बिकास को रेखांकित किया गया है और एयूसीसीटीयू प्रतिनिधियों तथा सीटू अध्यक्ष द्वारा नई दिल्ली में 12 अप्रैल 1985 को जारी संयुक्त विज्ञप्ति को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है.

राष्ट्रीय स्थिति पर आते हुए सीटू महासचिव ने श्रीमती गांधी की हत्या से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर तथा पंजाब में सीटू कार्यकर्त्ताओं के सामने मौजूद समस्याओं की ओर ध्यान खींचा उन्होंने कहा कि फूटपरस्त ताकतें अपना जहरीला फन फैला रही हैं और सीटू को इन काली ताकतों के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखना है.

भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि "यह याद रखना चाहिए कि नौकरशाह, उद्योगपति तथा सरकार के पूंजीवादी नेता, सुरक्षा की, जनता तथा मजदूरों के प्राणों की बलि देने में नहीं हिचकते हैं. जल्द से जल्द साधन जुटाने की जरूरत उन्हें ज्यादा से ज्यादा तेजी से तथा ज्यादा से ज्यादा परिमाण में, मुनाफे बटोरने के रास्ते तलाश करने की ओर ले जाती है. इस मुहिम में वे, जनता की जिंदगियों का सौदा करने में भी नहीं हिचकते, यही वजह है कि समुचित सुरक्षा कानून नहीं बनाए गए हैं, जो कानून हैं भी उन्हें भी लागू नहीं किया जाता हैं या उनका उल्लंघन होता है और इनका पालन कराने वाली मशीनरी पूरी तरह से उद्योगपतियों तथा खास कर इजारेदारों व बहुराष्ट्रीय निगमों की जरूरतों के आधीन है."

सीटू महासचिव ने तालाबंदियों तथा मिलबंदियों के खिलाफ जारी संघर्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला और श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में केंन्द्रीय श्रम मंत्री के 11 मई के इस बयान की ओर वर्किंग कमेटी सदस्यों का ध्यान खींचा कि "उद्योगों की बीमारी, औद्योगीकरण की प्रक्रिया का ही अपरिहार्य हिस्सा है जिसमें अक्षम तथा अदूरदर्शी इकाइयां बीमार होती है और अंततः औद्योगिक दृश्य पटल से लुप्त हो जाती है. निजी क्षेत्र में बीमारी औद्योगीकृत देशों में भी औद्योगीकरण का वैसा ही रोग है जैसा कि उन देशों में हैं जहां औद्योगिकरण अभी हो ही रहा है."

सीटू महासचिव ने कहा कि औद्योगिक बीमारी के सिलसिले में सीटू ने 1982 में ही अपना रूख स्पष्ट कर दिया था और घोषणा की थी कि "उद्योगों में बढ़ती बीमारी का तकाजा है कि सरकार की नीतियों में मूलगामी बदलाव लाया जाय." लेकिन ऐसा करने के बजाय 1956 में स्वीकृत औद्योगिक नीति सम्बन्धित प्रस्ताव को ही बदला जा रहा है और बहुराष्ट्रीय निगमों को खुले तौर पर लुभाने की नीति अपनाई जा रही है. नई नीति के तहत एम आर टी पी कानून की सीमा में आनेवाले व्यापारिक घरानों को ऐसे क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की इजाजत दी जा रही है जो अब तक छोटे तथा मझौले उद्योगों के लिए ही सुरक्षित रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर औद्योगिक बीमारी की बाढ़ को रोकना है तो इन नीतियों को बदलना होगा.

उन्होंने आगे कहा कि ऐसी कारगर व्यवस्थाएं भी करनी होगी ताकि उद्योगों को बीमार बनाने वाले तथा इस प्रकार सार्वजनिक फंड फंसाने वाले निजी उद्यमों के मामले में, फंड को इधर उधर किए जाने तथा भ्रष्ट तौर-तरीकों के मामलों में,

वर्ष	तालाबन्दियां		ले-आफ		छंटनी	
	इकाईयों की संख्या	प्रभावित मजदूर	इकाईयां	प्रभावित मजदूर	इकाईयां	प्रभावित मजदूर
1980	338	18,052	1603	3,00,300	724	15,341
1981	349	37,377	1323	3,11,308	726	17,320
1982	286	26,602	1521	3,06,400	758	15,922
1983	226	43,234	1300	2,44,057	688	20,376
1984	188	71,937	809	1,35,481	485	9,985

सरकार हस्तक्षेप कर सके. ऐसा करने के अपराधी मिलमालिकों को दंडित करने तथा उनकी संपत्तियां जब्त करने के लिए समुचित कानून बनाए जायं और सख्ती से लगू किए जायं.

सरकार को भी चाहिए कि वह कुछ समय के लिए बीमार उद्योगों को हर प्रकार के शुल्कों के बोझ से राहत दें ताकि इन उद्योगों को फिरसे स्वस्थ्य बनाने में कुछ मदद मिले.

उन्होंने, तालाबन्दी, मिलबन्दी, छंटनी तथा ले-ऑफ की घटनाओं के आंकड़े पेश करते हुए इससे उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर भी सदस्यों का ध्यान खींचा.

समर मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में बढ़ती बेरोजगारी की ओर ध्यान खींचा और बताया कि किस प्रकार सरकारी मशीनरी, रजिस्टरशुदा बेरोजगारों के लिए रोजगार जुटाने की चुनौती के सामने ज्यादा से ज्यादा पिछड़ती जा रही है. संगठित क्षेत्र में भी रोजगार करनेवालों की संख्या में कोई खास तब्दीली नहीं आई है.

कमेटी ऑन कन्ट्रोल्स को सीटू की ओर से दिए गए ज्ञापन से उद्धहरण देते हुए उन्होंने कहा कि रूग्णता और मिलबन्दयों के मामले में मजदूरों के बकाया भुगतान सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए. अपने उत्पादन को बहुमुखी बनाने तथा इकाइयों को स्वस्थ्य रखने से इंकार करनेवाले इजारेदार घरानों को नये उद्योग लगाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और न ही उन्हें सार्वजनिक वित्त संस्थानों से कर्ज दिया जाना चाहिए.

कानूनों को इस तरह बदलना होगा जिसके जरिए आर्थिक कुप्रबंध और कोषों की हेराफेरी के मामलों में डायरेक्टरों एवं अन्य अधिकारियों की निजी परिसम्पत्तियों से बैंको को अपना कर्ज वसूलने की क्षमता हो.

इसके बाद उन्होंने बताया कि इस मसले पर सरकार का क्या रुख है. उन्होंने कहा कि काम के अधिकार को न्यायोचित मौलिक अधिकार माने जाने तथा बेरोजगारी राहत के लिए अभियान व संघर्ष करना होगा उन्होंने यह भी कहा कि जहां-कहीं भी सम्भव हो काम के घंटों में कमी के संघर्ष पर भी विचार किया जाना चाहिए.

एकजुट संघर्ष के बारे में स्थिति का खुलाशा करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिशा में कुछ खामियां सीटू संगठनो में भी देखा गया. इसका एक कारण यह हो सकता है कि सीटू को भारी अत्याचार और हमलों को झेलते हुए काम करना पड़ता है. उनके रिपोर्ट में कहा गया, "देश के ज्यादातर हिस्सों में, सीटू यूनियनों एवं उसके सदस्यों पर भारी दमन जारी है उन्हें ट्रेड यूनियन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और इसका विरोध करने पर मजदूरों और उनके नेताओ की हत्या की जा रही है, उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है उन्हें गिरफ्तार कर उनपर भारी अत्याचार चलाया जा रहा है. मजदूर कर्मचारी इन बर्बर अत्याचारों का बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं."

सीटू महासचिव ने संगठन की एक बड़ी कमजोरी, कामगार महिलाओं से सम्बन्धित कमजोरी की ओर बिशेष रूप से ध्यान खींचा. (इस सिलसिले में कामगार महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की सचिव, विमल रणदिवे ने अलग से एक रिपोर्ट पेश की जिसमें समन्वय समिति के काम काज का ब्यौरा दिया गया था. उन्होंने बताया कि इस दिशा में ज्यादातर राज्य कमेटियों ने पर्याप्त रूचि नहीं दिखाई है).

इसके साथ ही समर मुखर्जी ने इस तथ्य की ओर भी वर्किंग कमेटी का ध्यान खींचा कि सीटू की सदस्यता इसके प्रभाव के मुकाबले बहुत कम है. इसकी एक बजह यह है कि असंगठित मजदूरों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है. अपनी रिपोर्ट में सीटू महासचिव ने निम्नलिखित कामों पर जोर दिया:

1. तीन महीने के अंदर-अंदर राज्य स्तर पर तालाबंदी, मिलबंदी, छंटनी आदि के खिलाफ सम्मेलन हो जाएं.

2. अनवरत विचारधारात्मक प्रचार किया जाय. कांग्रेस (आई) के "समाजवाद" को बेनकाब किया जाय और वैज्ञानिक समाजवाद को जनता के बीच प्रचारित किया जाय तथा शिक्षा, संस्कृति व विचार धारा के बारे में प्रचार किया जाय.

3. कार्यकर्त्ताओं के सुसंगत विकास पर ध्यान दिया जाय.

4. राज्य तथा जिला कमेटियों के काम-काज को और जनतांत्रिक बनाया जाय ताकि इस दिशा में यूनियनों को भी प्रोत्साहित किया जा सके.

5. संघर्षों तथा सदस्यता अभियान की समीक्षा हो.

बैठक ने पी. के गांगुली के संयोजकत्व में एक प्रस्ताव कमेटी

चुनी जिसके दूसरे सदस्य थे आर उमानाथ, बिरेन राय, सुनील बसुराय, पी पी सांझगिरी, के एन रवीन्द्र नाथ तथा एम एम लारेंस, इसके अलावा, पारसा सत्यनारायण के संयोजकत्व में एक क्रेडेंशियल कमेटी चुनी गई जिसके दूसरे सदस्य थे चित्तव्रत मजूमदार, ओ भरतन तथा ए के पद्मनाभन.

सभापति के निर्देश पर पी के गांगुली ने फासीवाद पर विजय की चालीसवीं सालगिरह के समारोहों में शामिल होने के लिए सोवियत संघ की अपनी यात्रा की रिपोर्ट पेश की.

एम के पंधे ने 27-28 मई को बंगलौर में सम्पन्न सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों के सम्मेलन की विस्तृत रिपोर्ट पेश की.

पी के गांगुली ने 24 मई 1985 को दिल्ली में "भोपाल त्रासदी" पर हुए सेमिनार की रिपोर्ट पेश की.

महासचिव की रिपोर्ट पर हुई बहस में जीवन राय, बिरेन राय, एन पदमलोचन, मोहम्मद अमीन, मंगत राम पासला, सुनील बसुराय, एस एन सोलंकी, एम एम चेरियन, बी पी मुखर्जी, पी पी सांझगिरी, प्रेमकिशन शर्मा, चित्तव्रत मजूमदार सूर्यनारायण राव, विमल रणदिवे, आनंद पाठक, हरसहाय सिंह जी एस बालाजी दास, ए के पदमनाभन, चंडी प्रसाद, सुशील भट्टाचार्या, शिवाजी पटनायक तथा ई पदमनाभन ने हिस्सा लिया. समर मुखर्जी ने बहस के दौरान उठे प्रश्नों का जवाब दिया जिसके बाद रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई.

नृसिंह चक्रवर्ती ने मिलबंदी, तालाबंदी. छंटनी तथा अधि-ग्रहण समाप्ति आदि पर प्रस्ताव पेश किया जिसका जामिनी साहा तथा बालाजी दास ने समर्थन किया. मूल प्रस्ताव में दो संशोधन रखे गए जिन्हें स्वीकार कर लेने के बाद, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया.

डी जानकीरमण ने "सरकार की श्रम नीति" पर प्रस्ताव रखा जिसका सूर्यनारायण राव ने समर्थन किया. एम के पंधे, ए के पदमानाभन, आर उमानाथ तथा नृसिंह चक्रवर्ती ने प्रस्ताव पर हुई बहस में हिस्सा लिया और बहस में उठे मुद्दों के प्रकाश में प्रस्ताव को फिर से लिखकर पारित माने जाने का फैसला लिया गया. सभापति ने निर्देश दिया कि आतंकवादी तथा विखंडनकारी कार्रवाइयां (निवारण) कानून पर अलग से एक प्रस्ताव किया जाएगा.

पी. के. गांगुली ने फासीवाद पर विजय की 40 वीं साल गिरह पर प्रस्ताव रखा जिसका एम एम लारेंस ने समर्थन किया. प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ. एम के पंधे ने ए यू सी सी टीयू तथा सीटू के संयुक्त वक्तव्य पर एक प्रस्ताव रखा जिसका प्रेमकिशन शर्मा ने समर्थन किया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ. नृसिंह चक्रवर्ती ने "सरकार की आर्थिक नीति" पर प्रस्ताव पेश किया जिसका पी पी सांझगिरी ने समर्थन किया. पी रामसूर्ति ने आर्थिक नीति में हो रहे प्रतिगामी परिवर्तनों के बारे में विस्तार से बताया. पी राममूर्ति तथा दूसरे लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर प्रस्ताव फिर से तैयार करने के सुझाव के साथ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया.

एम के पंधे ने बंगलादेश में समुद्री तूफान से हुई तबाही पर प्रस्ताव पेश किया जिसका पी के गांगुली ने समर्थन किया. सीटू की केरल राज्य कमेटी ने समुद्री तूफान पीड़ितों के लिए सहायता का आह्वान करने का सुझाव रखा और 5000 रू. देने की पेशकश की. तमिलनाडु कमेटी 2000, पश्चिम बंगाल कमेटी ने तुरन्त 10,000 तथा बाद में और सहायता देने, उत्तर प्रदेश कमेटी ने 1,000 महाराष्ट्र कमेटी ने 1,000, बिहार कमेटी ने 1000, स्टीलवर्कर्स फेडरेशन ने 2,000 हिंद मोटर वर्कर्स यूनियन ने 1,000 कोल मजदूर सभा ने 1,000, आल इंडिया जूट वर्कर्स फेंडरेशन ने 1,000, आल इंडिया कोल वर्कर्स फेडरेशन ने 1,000, प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन ने 1000 और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व पंजाब कमेटियों तथा वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने पांच-पांच सौ रू. देने की घोषणा की.

एम. के पंधे ने मिलबंदी, छंटनी आदि के मसलों पर राष्ट्रीय अभियान समिति के फैसलों की रिपोर्ट दी और बताया कि इसकी पूरी संभावना हैं कि अगस्त में किसी समय एक अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति की ओर से आह्वान किया जाय. उन्होंने कपड़ा मजदूरों की प्रस्तावित कन्वेंशन की दिशा में प्रगति के बारे में भी बताया. इसकी पूरी संभावना है कि अन्य ट्रेड यूनियनों के परामर्श से नेशनल टैक्सटाइल्स कार्पोरेशन के मजदूरों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाई जाए. ए के पदमनाभन तथा आर उमानाथ ने बताया कि अगर एटक राजी हो तो अगस्त के महीने में कोयंबटूर मे ही एक संयुक्त कन्वेन्शन आयोजित की जा सकती है.

इसके बाद क्रेडेंशियल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार 76 नई यूनियनों ने, जिनकी सदस्य संख्या 25702 हैं सीटू से संबद्धता के लिए प्रार्थना की है. इनमें से 51 यूनियनों ने जिनकी सदस्य संख्या 20516 हैं, संबद्धता की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं.

बैठक में, यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन के मशले पर भी विचार हुआ. एम के पंधे ने, सत्यापन की किसी संशोधित सहमत प्रक्रिया की दिशा में अन्य यूनियनों के साथ हुई बातचीत की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि जून में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेल के बाद इस मसले में अंतिम रूप से फैसला लिया जा सकेगा. इसके साथ ही उन्होंने वर्किंग कमेटी सदस्यों से आग्रह किया कि सारी संबद्ध यूनियनों को सत्यापन के लिए पूरी तरह से तैयार रखें. नृसिंह चक्रवर्ती ने कुछ अन्य

पहलुओं की ओर ध्यान खींचा जिनकी उपेक्षा करने से सदस्यता सीटू की सदस्यता में नहीं गिनी जा सकेगी.

पी के गांगुली ने प्रबंधन में मजदूरों की हिस्सेदारी पर एक रिपोर्ट पेश की. सभापति ने अन्य प्रस्ताव पढ़ दिए और सर्व-सम्मति से स्वीकार कर लिए गए.

बहस का समाहार करते हुए बी टी रणदिवे ने कहा कि सरकार की नीतियों में नए प्रतिगामी परिवर्तनों से एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है. सीटू यूनियनें अब तक देश भर में संघर्ष के बीचो-बीच रही है. और इन संघर्षो के बीच से ही सीटू अब तक प्रगति करती रही है. लेकिन, यह विशेष तौर पर ध्यान में रखने की बात है कि नए हालात में अगर हम अपने तौर-तरीकों को नया रूप नहीं देते हैं तो महज पुराने तरीकों पर चलकर, स्थिति का मुकाबला नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने वर्किंग कमेटी सदस्यों का आह्वान किया कि जाति धर्म तथा ऐसे अन्य संकीर्ण विचारों से उपर एक दृढ़ मजदूर आंदोलन का आधार तैयार करें तभी फ़ूटपरस्त ताकतों का मुकाबला किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि जहां तक आरक्षण का सवाल है उसके प्रति लचीला रूख अपनाना होगा और उन सभी तरीकों का विरोध करना होगा जो मजदूर वर्ग को विभाजित करते हैं.

समुचित तकनीक के नाम पर कंप्यूटर लगाए जाने की अवधारणा की वी टी आर ने कड़ी आलोचना की और कहा कि वास्तव में यह पूंजीबादी दुनियां द्वारा सुझाया गया रास्ता है ताकि अविकसित दुनिया को वंचित रखा जा सके और हमेशा हमेशा के लिए गुलामी में बांधा जा सके. उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के कड़े प्रतिरोध के कारण सरकार तथा प्रबंधकों को कहीं-कहीं बात चीत पर मजबूर होना पड़ा है और कोई छंटनी न होने देने का आश्वासन देना पड़ा है. लेकिन अगर यह कड़ा प्रतिरोध जारी नहीं रहता है तो इस समय जो मामूली सी सुरक्षा हासिल है वह भी शायद ही मिल पाए. आज भारत के नौकरशाह मान बैठे हैं कि इस तरह की उच्च तकनीक के बिना वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टिक नही पायेंगे और इसके कारण मध्यवर्गीय कर्मचारियों को अपने रोजगार पर गंभीर हमले का सामना करना होगा. इसलिए, सीटू को इस मामले में सही रूख अपनाना होगा ताकि मजदूर उसके पीछे लामबंद हो सकें और कंप्यूटराइजेशन के परिणामों का मुकाबला किया जा सके.

उन्होंने आगे कहा कि अब सरकार को प्रबंधन में मजदूरों को हिस्सेदारी की बात कहने पर मजबूर होना पड़ा है. फिर भी सरकार इस नारे को उद्योग की सारी बीमारियों के लिए मजदूरों को जिम्मेदार ठहराने के लिए ही इस्तेमाल कर रही है. इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए मजदूरों को प्रबंधन में हिस्सेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन तभी जब यह हिस्सेदारी बराबरी के आधार पर हो.

उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का वही अर्थ नहीं है जो कि विकसित पूंजीवादी देशों में है भारत में इसे गुलामी साम्राज्यवादी फंदों को काटने के लिए इस्तेमाल किया गया है. इसलिए, ट्रेड यूनियन आंदोलन को सार्वजनिक क्षेत्र को कमजोर किए जाने का मुकाबला करना चाहिए तथा उसके सही ढंग से काम करने में मदद करनी चाहिए ताकि आत्मनिर्भरता की बलि न दी जा सके.

आर्थिक नीति की चर्चा करते हुए बी टी आर ने वर्किंग कमेटी सदस्यों को आगाह किया कि नए रूझान को पूरी गंभीरता से लें. उन्होंने कहा कि वर्त्तमान सरकार, आजादी के बाद से सरकारों द्वारा स्वीकृत रहे सारे बुनियादी सिद्धांतों को नष्ट-भ्रष्ट कर रही है और बड़े पैमाने पर आदर्शो की उलट-फेर होने जा रही है. सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए अर्थव्यवस्था के द्वार खोल रही है कि वे आए और देश को गुलाम बना लें. सिर्फ मजदूर वर्ग ही नहीं कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी इस चाल को पहचान लिया है. सार्वजनिक क्षेत्र के घाटों से बचने के लिए इन उद्यमों को संयुक्त क्षेत्र में लाने की पेशकश की जा रही है जिसका मतलब उन्हें अंततः निजी क्षैत्र में धकेलना ही है. इससे मजदूरों को गंभीर हमले का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान खींचा कि सार्वजनिक क्षेत्र की सीधे-सीधे निन्दा करने की पिछली नीति से किसी हद तक यह तथ्य छिप जाता था कि इजारेदारों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों से उसकी रक्षा करना भी ट्रेड यूनियन आंदोलन की जिम्मेदारी है. पहली बार हमारे देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसका साम्राज्यवादी गुलामी के खिलाफ लड़ाई में कोई योगदान नही रहा और स्वाभाविक रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों की शर्तो के आगे उसके झुकने की ज्यादा संभावना होगी. और अगर ऐसा होता है तो मौजूदा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमलों के इतिहास का नया अध्याय शुरू हो जाएगा. इन हमलों का मुकाबला करने के लिए मजदूर वर्ग को और ज्यादा संगठित होना होगा मजदूर वर्ग ही है जो जनवादी जनता की मदद से इस नए जनविरोधी रूझान को पलट सकता है. आखिर में बी टी आर ने कहा कि मजदूरों की चेतना को बढ़ाने की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है. जब तक इसके लिए अनवरत प्रयास नहीं किये जाते हैं तबतक मजदूर वर्ग अपनी ऐतिहासिक भूमिका, अदा नहीं कर पाएगा. उन्होंने कहा कि इस काम को पूरा करने के लिए हमें अपना काम करने का तरीका बदलना होगा.

बैठक का समापन विशाल रैली तथा जन सभा के साथ हुआ. बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में मजदूरों के जत्थे गांधी मैंदान में जमा हो रहे थे. शाम सात बजे शुरू होकर जब साढ़े नौ बजे सभा समाप्त हुई तब तक जत्थे पहुंच ही रहे थे. सुशीला गोपालन ने सभा की अध्यक्षता की ओर बी टी रणदिवे, ई. बालानंदन, पी राममूर्ति तथा एन रवींद्रनाथ ने विशाल जन समूह को सम्बोंधित किया. □

सीटू वर्किंग कमेटी द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव

शहीदों पर

त्रिवेंद्रम में 31 मई से 2 जून 1985 तक सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी बैठक उन साथियों की याद में अपने लाल झंडा को झूकाती है जो मजदूर वर्ग एवं देश की जनता को मुक्ति दिलाने की अपनी संघर्ष में मालिकों के गुंडों और पुलिस की गोलियों के शिकार हुए. यह बैठक उन शहीदों के अधुरे काम को पूरा करने का संकल्प लेती है.

कामरेड कौंस्तांतिन उस्तिनोविच चेरनेंको

त्रिवेंद्रम में 31 मई से 2 जून 1985, तक सम्पन्न सीटू की यह कार्यकारिणी की बैठक, सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तथा सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के अथ्यक्ष मंडल के अध्यक्ष कामरेड कोंस्तांतिन उस्तिनोविच चेरनेंको के दु:खद निधन पर मजदूर वर्ग एवं सोवियत संघ की जनता के साथ मिलकर अपने गहरे शोक का इजहार करती है. 73 वर्ष के का. चेरनेंको का निधन 10 मार्च 1985 को हुआ. अपने शासन काल के एक साल के छोटे अवधि में ही समाजवादी व्यवस्था की सुरक्षा एवं अमरीकी साम्राज्यवादी युद्ध साजिशों के खिलाफ विश्व शांति की रक्षा की अपनी दृढ़ संकल्प का जबर्दस्त प्रभाव छोड़ गए.

24 सितम्बर 1911 को एक किसान परिवार में जन्मे का. चेरनेंको ने कम उम्र में ही पार्टी का काम शुरू किया. 1930 में वह लाल फौज में आए और 1973 तक शरहदों पर ही काम करते रहें. इसके बाद वे पार्टी में आए. 1956 में उन्हें सी पी एसयू केन्द्रीय कमेटी की स्टाफ में शामिल किया गया और 1960 में उन्हें सर्वोच्च सोवियत अध्यक्ष मंडल सेक्रेटेरियट के प्रमुख बनाया गया. 1966 से 1971 तक वे सी पी एस यू केन्द्रीय कमेटी के विकल्प सदस्य रहे. 1976 के मार्च में कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की बैठक में उन्हें केन्द्रीय कमेटी के सचिव चुन लिया गया. 1977 में वह पोलिट ब्यूरो के विकल्प सदस्य बनाए गए. 13 फरवरी 1984 को उन्हें सी पी एस यू केन्द्रीय समिति का महासचिव चुना गया और अप्रैल 1984 में का. चेरनेंको को सोवियत संघ की सर्वोच्च सोविथत के अध्यक्ष मंडल का अध्यक्ष चुना गया.

व्यवहारिक अनुभव की सम्पदा, सिद्धांत के गहरे ज्ञान व राजनीतिज्ञ एवं संगठन कर्त्ता के महान गुणों के साथ उन्होंने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों पर अमल के लिए केन्द्रीय समिति के सामूहिक कार्य में, पार्टी की 26 वीं कांग्रेस के प्रस्ताबों पर अमल में और लेनिनवादी ढंग से पार्टी व राज्य के कार्य में महान योगदान किया. सोवियत संघ की रक्षा परिषद् का नेतृत्व करते हुए उन्होंने देश की रक्षात्मक क्षमता को सुदृढ़ करने में बड़ा योगदान किया और अमरीकी साम्राज्यवादी युद्ध साजिशों के खिलाफ समाजवाद की रक्षा के लिए सोवियत सशस्त्र सेनाओं की युद्ध मुस्तैदी में वृद्धि की. साथ ही साथ उन्होंने जटिल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, पार्टी की शांतिप्रिय लेनिनवादी नीति पर अमल के लिए अथक प्रयास किया जिसका उद्देश्य शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना, हथियारों की होड़ को रोकना और नाभिकीय युद्ध के खतरे को दूर करना है. इस सिलसिले में उन्होने समाजवादी समूदाय के देशों के सहयोग और एकजुटता को बढ़ाने, विश्व कम्युनिस्ट और मजदूर आंदोलन की एकता को सुदृढ़ करने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाने तथा राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षो के समर्थन के प्रति विशेष ध्यान दिया. साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष में मददगार भारत-सोवियत मैत्री एवं सहयोग के सम्बद्धों को मजबूत करने में कामरेड चेरनेंको के योगदान को भारतीय जनता सदा-सदा याद रखेगी. कामरेड चेरनेंको की याद में सीटू अपनी लाल झंडा को झूकाती है.

कामरेड पी. सुन्दरैया पर

त्रिवेन्द्रम मे 31 मई से 2 जून 1985, तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य तथा देश में मेहनमकश अवाम के आंदोलन के बयोवृद्ध नेता कामरेड पी. सुन्दरैया के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है. 19 मई को मद्रास के एक नर्सिंग होम में 72 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ.

17 वर्ष की आयु में अपने पढ़ाई समाप्त करने के पहले ही कामरेड सुन्दरैया स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान किया और 1930 में देश में चल रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े. स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान वे कम्युनिस्ट पार्टि में आए तथा दक्षिण क्षेत्र के संगठक के हैसियत से काम करते रहे. कामरेड सुन्दरैया 1936 से ही पार्टी के केन्द्रीय कमेटी के सदस्य रहे. वह ऑल इण्डिया किसान सभा के संस्थापक सदस्य तथा कुछ समय तक उसके संयुक्त सचिव भी रहे. कामरेड सुन्दरैया तेलेंगना के किसानों का बहादुरीपूर्ण शसस्त्र संघर्ष के मुख्य नेताओं में से थे.

1951 में कामरेड पी.एस. को पोलिट ब्यूरों का सदस्य चुना गया और 1952 में पहले चुनाव के बाद वह राज्य सभा के सदस्य बने. वह संसद में सी पी आई ग्रुप के नेता भी रहे. 1946 में कामरेड पी.एस. आंध्र प्रांतीय विधान सभा के लिए

चुने गए और 1972 तक लगातार हर विधान सभा के लिए चुने जाते रहे. विधान सभा में पहले सी पी आई और बाद में सी पी आई(एम) ग्रुप के वह नेता रहे.

1972 के बाद उन्होंने पार्टी के काम में ही अपने आपको सम्पूर्णरूप से समर्पित किया. 1964 में जब पार्टी में बिभाजन हुआ तो का. पी. एस. सी पी आई(एम) के महासचिव चुने गए और 1976 तक इस पद पर बने रहे. इसके बाद केन्द्रीय कमेटी के सदस्य और बाद में सीपीआई(एम) आंध्र प्रदेश कमेटी के महासचिव बने रहे.

1979 से 1983 तक कामरेड सुन्दरैया सीटू के कार्यकारिणी के भी सदस्य रहे. एक क्रांतिकारी कम्युनिष्ट होने के नाते पार्टी के लिए त्याग और समर्पित जीवन का मिशाल, उनके सम्पर्क में आनेवाले सभी को प्रभावित किया और सभीने उन्हें प्यार और आदर दिया.

देश के इस महान सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीटू अपने लाल झंडे को झुकाती है तथा सीपीआई(एम) के महासचिव एवं कामरेड लीला सुन्दरैया के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना का इजहार करती है.

कामरेड परिमल मित्र पर

त्रिवेन्द्रम में मई 13 से 2 जून 1985, तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक पश्मि बंगाल सीपीआई(एम) राज्य कमेटी के सदस्य, प. बंगाल सरकार के वन तथा पर्यटन मन्त्री, सीटू कार्यकारिणी के सदस्य तथा अखिल भारतीय बागान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष कामरेड परिमल मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है. 66 वर्षीय कामरेड मित्र का निधन 1 मार्च को मिदनापुर जिले के सालबोनि में हुआ.

17 अप्रैल 1919 को जन्मे कामरेड परिमल मित्र युवावस्था में ही कम्युनिष्ट आंदोलन के प्रति आकृष्ट हुए. 1939 में का. मित्र, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी में आये जो उस समय गैन-कानूनी पार्टी थी. उसी समय से वह पार्टी के पूर्ण-कालिक कर्मी के रूप में काम करते रहे. स्टूडेंट्स फेडरेशन की जलपाईगुड़ी जिला इकाई के संस्थापक अध्यक्ष कामरेड मित्र ने उत्तरी बंगाल के किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया और बाद में ऐतिहासिक तेभागा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. रेल मजदूरों के आंदोलन में अगुवाई की भूमिका निभाने पर वे बंगाल-डुआर्स रेल रोड वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष बनाए गए. 1952 से उन्होंने उत्तरी बंगाल के चाय बागान मजदूरों को संगठित किया और चाय-बागान मजदूर यूनियन के महासचिव बनाये गए. बाद में वे ऑल इण्डिया प्लांटेशन वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष बने. वे 1970 में सीटू की स्थापना के समय से ही इसके कार्यकारिणी के सदस्य रहे और मृत्यु के समय तक इस पद पर बने रहे. 1977 और 1982 में जलपाईगुड़ी जिले के क्रांति विधान सभाई क्षेत्र से उन्हें विधान सभा के लिए चुना गया और 1977 से ही वे वाम मोर्चा सरकार में वन तथा पर्यटन मन्त्री रहे.

उनके निधन पर कम्युनिस्ट आंदोलन ने ऐक क्रांतिकारी नेता को खो दिया और मजदूर वर्ग ने एक अच्छे संगठक और समर्पित योद्धा को. सीटू की कार्यकारिणी की यह बैठक का. मित्र की याद में अपना लाल झंडा झुकाती है और उनके शोक-संतप्त परिवार के साथ हार्दिक संवेदना का इजहार करती है.

कामरेड एन.वी. भास्करराव पर

त्रिवेन्द्रम में 31 मई से 2 जून 1985, तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक सीटू कार्यकारिणी के सदस्य तथा आंध्र प्रदेश सीटू राज्य कमेटी के सचिव कामरेड एन.वी. भास्करराव के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करती है. 55 वर्षीय का. भास्करराव का निधन 24 अक्टूबर 1984 को हुआ.

पार्टी के वे एक समर्पित नेता थे. का. भास्कर राव सी पी आई (एम) आध्र प्रदेश राज्य कमेटी के सदस्य तथा इसके हैदराबाद शहर कमेटी के सचिव भी थे. मजदूर वर्ग के एकजुट संघर्ष के निर्माण में तथा आंध्र प्रदेश में सीटू को आगे बढ़ाने में का. भास्कर राव का निःस्वार्थ और महान योगदान का यह कार्यकारिणी श्रद्धा के साथ याद करती है. यह बैठक, आंध्र प्रदेश सीटू राज्य कमेटी तथा उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना का इजहार करती है.

शोक प्रस्ताव

त्रिवेंद्रम में 31 मई से 2, जून '1985 तक सम्पन्न सीटू की कार्यकारिणी की यह बैठक, लोकसभा में सी पी आई (एम) के नेता कामरेड शरदीश राय एवं उन सभी के प्रति जो सितम्बर 1984 में हुए पिछले जनरल कांउसिल की बैठक के बाद से अबतक की इस अवधि में इस देश की वर्त्तमान व्यवस्था बदलने तथा समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपनी भावभिनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है.

फासीवाद पर विजय की 40वीं वर्षगांठ पर

त्रिवेंद्रम में 31 मई से 2 जून 1985 तक संपन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक, सीटू के आह्वान पर 1 से 9 मई तक शानदार तरीके से फासीवाद पर विजय की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए मजदूर वर्ग का अभिनंदन करती है.

यह बैठक इस तथ्य पर मजदूर वर्ग का केन्द्रित ध्यान आकर्षित करती है कि सोवियत संघ की लाल फौज और जनगण की, फासीवाद पर विजय की महत्वपूर्ण घटना ने दुनियां की शक्ल ही बदल दी. इसके परिणाम स्वरूप एक तिहाई दुनियां में समाज वाद की जीत हुई, पूर्वी यूरोप के कई देशों में समाजवादी व्यवस्था कायम हुई. इससे चीनी क्रांति की विजय सुनिश्चित हुई और समाजवादी चीन कोरिया और वियतनाम कौ स्थापना हुई. इस घटना के फलस्वरूप ब्रिटिश राज के पुरानी

औपनिवेशिक प्रणाली लड़खड़ा गई और भारत को अपनी आजादी की लड़ाई में कामयाबी सम्भव हुई. महान अक्तूबर क्रांति के बाद इस ऐतिहासिक विजय को बिल्कुल सही रूप से विश्व इतिहास की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना कही गई है. दुनियां के लोग इस बात से वाकिफ है कि विश्व शांति के लिए सोवियत संघ जब निरंतर प्रयास चला रही है. तब साम्राज्यवादियों के दारोगा अमरीका के रीगन प्रशासन, दुनियां पर काबिज होने की अपनी मुहिम में एम एक्स मिसाइल, रासायनिक व नाभिकीय अस्त्रों एवं अंतरिक्ष युद्ध आदि के जरिए न केवल हथियारों के होड़ के पागलपन पर तुली हुई है बल्कि सोवियत संघ को खत्म करने के लिए यूरोप में पर्शिंग II तथा क्रूइस जैसे प्रथम प्रहार अस्त्रों को भी तैनात की है.

यह बैठक इस बात को नोट करती है कि दुनियां भर में शांति आंदोलन शक्तिशाली हो रही है और हमारे देश में भी मजदूर वर्ग के एक बड़े हिस्से को शांति आंदोलन के इस ज्वार में लामबंद किया जा सका. फिर भी बहुत सारे मजदूर हैं जो अन्य कई संगठनों के प्रभाव में हैं और इस बात को नहीं मानते कि साम्राज्यवाद मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है.

यह बैठक तमाम मजदूर वर्ग का आह्वान करती है कि वह इस बात को महसूस करें कि वर्त्तमान परिस्थिति में अगर नाभिकीय युद्ध छिड़ गया तो समूचे मानव सभ्यता का नामोंनिशान मिट जाएगा. और इसलिए यह अपील करती है कि नाभिकीय विनाश के इस खतरे के खिलाफ एकजुट होकर नाभिकीय युद्ध नहीं" का आवाज बुलंद करें.

यह बैठक सीटू राज्य कमेटियों तथा सम्बद्ध यूनियनों का आह्वान करती है कि वे इस वर्ष 1 सितम्बर को शांति दिवस एकजुट होकर मनाने की तैयारियां करें. यह वर्ष हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम फेंके जाने की 40वीं सालगिरह होने के नाते यह बैठक विश्व ट्रेड यूनियन संगठन के आह्वान के मुताविक, एकजुट कार्रवाइयो के जरिए 2 और 9 अगस्त को "नाभिकीय अस्त्रों की खात्मा के लिए एकजुट कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस" के रूप में मनाने की आह्वान करती है.

डब्लू एफ टी यू का प्रस्ताव

फासीवाद पर विजय की 40वीं वर्षगांठ पर पारित अपने प्रस्ताव में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनस ने 2 व 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएं जाने का आह्वान किया है. हम सम्बद्ध पंक्तियां नीचे छाप रहे हैं—संपादक

इस बात को याद करके कि यह साल हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम फेंके जाने का 40वीं वर्ष है, डब्लू एफ टी यू दुनियां के तमाम ट्रेड यूनियनों का आह्वान करती है कि वह 2 और 9 अगस्त को नाभिकीय हथियारों के खात्मा के लिए एकजुट कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएं.

क्लोजर, तालाबंदियों व छंटनी पर

त्रिवेन्द्रम में, 31 मई से 2 जून 1985 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक इस बात पर गम्भीर चिंता प्रकट करती है कि छठी योजना अवधि बहुत ही संतोषजनक आर्थिक सफलताओं की अवधि होने की सरकार की लम्बी चौड़ी दावों के बावजूद रूग्ण औद्योगिक इकाईयों की संख्या 28,000 से बढ़कर 31 दिसम्बर 1983 तक 80,110 हो गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगार बनाए गए मजदूरों की संख्या 1981 में 37,000, 1982 में 26,000, 1983 में 43,000 और 1984 में 71,000 रही.

ऐसा लगता है कि, भारत सरकार, 20 जनवरी 1984 में हुए कन्वेन्शन तथा 18 अप्रैल 1984 को आयोजित मजदूरों का संसद के समक्ष प्रदर्शन कार्यक्रमों को अमल में नहीं लाई. उद्योगों को चलाते रहने के लिए पहले जो भी कदम उठाए गए थे उसे भी त्यागते हुए सरकार ने कई इकाईयों को डिनोटिफाई करना भी शुरू कर दिया. सरकार खुलेआम इस बात की वकालत करती है कि रूग्णता और मिलबन्दी, उद्योगों के स्वस्थ्य विकास के साथ-साथ ही चलती है. सरकार, काम के अधिकार को जायज बुनियादी अधिकार मानने को तैयार नहीं. उद्योग के बन्द या रूग्ण होने के कारण प्रभावित मजदूरों को बेरोजगारी राहत दिये जाने की बात भी मानने के लिए सरकार तैयार नहीं.

जूट तथा कपड़ा उद्योग में रूग्णता और मिलबन्दियों के कारण मजदूर गम्भीररूप से प्रभावित हैं. बेरोजगारी राहत देने की वजाय, सरकार, मजदूरों के प्रोविडेंट फण्ड एवं छंटनी मुवावजा के बदले में इनके छोटे-छोटे ग्रुपों को पावरलूमों का परमिट दिए जाने का प्रस्ताव देती है जिन्हें अपने क्षेत्र में शहरी पावरलूम कोआपरेटिवों के रूप में संगठित किया जायगा.

सरकार अधिगृहित इकाईयों का राष्ट्रीयकरण करने से इंकार करती है. वह इस बात पर जोर देती है कि अगर राज्य सरकार किसी इकाई का राष्ट्रीयकरण करना चाहे तो पहले अधिग्रहण पूर्व इन इकाइयों के तमाम घाटे के बोझ को उसे उठाना पड़ेगा. इस तरह राष्ट्रीयकरण के रास्ते में रोड़े अटकाने में लगी है. सरकार जांच करवाने से मुकरती है और कोषों की हेराफेरी कर इकाइयों को बीमार बनाने या बन्द करनेवाले उन मालिकान के निजी परिसम्पत्तियों को जब्तकर अधिग्रहणपूर्व घाटे की रकम को बसूलना नहीं चाहती. सरकार, समानता के आधार पर प्रबन्धन में मजदूरो की हिस्सेदारी की बात मानने से तथा अधिग्रहण के बाद उद्योग को जनवादी तरीके से चलाने की बात से इंकार करती है. इन सब कारणों से देशभर में गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है. मनमानी कम्प्यूटरीकरण के कारण स्थिति और भी संकटपूर्ण होती जा रही है जबकि बेरोजगारी की स्थिति तेज रफ्तार से बढ़ रही है और श्रम-नियोजनालल के आंकड़ों के अनुसार रजिस्टरशुदा बेरोजगारों की संख्या 2 करोड़ 35 लाख हो गई है.

यह बैठक, उन सारे मजदूरों को बधाई देती है जिन्होंने

राष्ट्रीय अभियान समिति के आह्वान पर तालाबन्दी, मिलबन्दी व छंटनी के खिलाफ 15 मई को विरोध-दिवस मनाया. अगले चरण के संघर्ष के कार्यक्रम तय करने के लिए 15 अगस्त तक राज्य, क्षेत्र तथा जिला स्तर पर कन्वेन्शन करने की राष्ट्रीय अभियान समिति के फैसले का भी यह बैठक स्वागत करती है. प. बंगाल में बन्द पड़े व तालाबन्दी किए गए इकाईयों को फिर से खोलने तथा ऐसा करने से इंकार करनेवाले मिलों का अधिग्रहण करने एवं अंत तक राष्ट्रीयकरण करने की मांग पर प. बंगाल में एक दिन की प्रस्तावित औद्योगिक हड़ताल के फैसले का भी यह बैठक समर्थन करती है. यह बैठक तमाम मजजूरवर्ग का, खासकर उन मजदूर कर्मचारियों का जो मिल-बन्दियों से प्रभावित नहीं है, आह्वान करती है कि वह नीति के तौर पर मिलबन्दी एवं बीमार उद्योगों के सवाल को गम्भीरता से उठाएं और एकजुट संघर्ष छेड़े ताकि तमाम बन्द पड़े एवं बीमार उद्योगों का अधिग्रहण करने में सरकार को मजबूर किया जा सके.

कपड़ा, जूट एवं चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर

त्रिवेन्द्रम में 31 मई से 2 जून 1985 तक सम्पन्न सीटू कार्यकारिणी की यह बैठक जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग पर 17 मई 1985 को संयुक्तरूप से शानदार मुकम्मिल हड़ताल के लिए देशभर के 2.5 लाख जूट मजदूरों का अभिनन्दन करती है.

यह बैठक खासतौर से पश्चिम बंगाल सीटू राज्य कमेटी तथा बंगाल चटकल मजदूर यूनियन को बधाई देती है जिनके लगातार एवं अथक प्रयासों के कारण जूट मजदूरों में सम्पूर्ण एकता कायम करने में कामयाबी मिली और इंटक यूनियन, जो अबतक इस एकजुट आंदोलन से बाहर थी, को भी आंदोलन में शामिल होना पड़ा.

इस बैठक ने इस बात को नोट की है कि सूती वस्त्र, जूट एवं चीनी उद्योगों में औद्यगिक रूग्णता की घटनाएं बहुत ज्यादा है. दिसम्बर 1983 के अंत तक 491 बड़े बीमार इकाईयों में से, 119 सूती कपड़ा इकाई, 37 जूट मिलें एवं 44 चीनी उद्योग के थे जिसमें लाखों मजदूर कार्यरत थे. इस वर्ष मई के अन्त तक और 18 जून मिलों में तालाबंदी हो गई जिससे 70,000 मजदूर बेरोजगार हो गए.

मिलबन्दियों के कारण जूट उद्योग में बेरोजगारी की संख्या आज 72,000 के करीब हो जाएगा.

जूट उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर, पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव जिसे पिछले साल प. बंगाल के एक सर्वदलीय विधायक दल द्वारा दिवंगत प्रधान-मन्त्री श्रीमती गांधी को दिया गया था तथा केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा संयुक्तरूप से उठाए गए इस मांग को कांग्रेस(आई) सरकार द्वारा ठुकरा दिए जाने की यह बैठक तीव्र निंदा करती है. इस साल भी, जब 17 मई 1985 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया उस समय भी वर्त्तमान सरकार जूट मजदूरों के एकजुट मांग को सम्मान करने के लिए अनुरोध किया गया. पर सरकार अबतक कोई साकारात्मक प्रस्ताव नहीं दिया है.

कपड़ा उद्योग का भी सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रीय करण किए जाने की मांग को रखा है. पर सरकार उसे स्वीकार करने की बजाय एक विशेषज्ञ समिति बनाई है जिसमें मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल नहीं है और इस समिति ने उद्योग का आधुनिकीकरण किए जाने तथा विदेशी तकनीकी की आयात की सिफारिश की है जिससे स्थिति और भी संकटपूर्ण हो गया है

इसी तरह चीनी उद्योग भी बढ़ते मिलबन्दियों एवं रूग्णता के कारण संकटपूर्ण स्थिति में है.

इसलिए, यह बैठक, जूट, सूती कपड़ा तथा चीनी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की मांग को दोहराती है और राज्य कमेटियों व सम्बद्ध अभियानों का आह्वान करती है कि वह इस मांग में, अन्य ट्रेड यूनियनों को लामबन्द करते हुए संघर्ष को तेज करें.

(पृष्ठ 4 का शेष)

का राष्ट्रीय करण तथा जनता के हितों में इसका पुनर्गठन. जब हम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध ढंग से पुरानी हो चली प्रणाली को हटाते हैं जरूरत के मुताबिक आधुनिकी करण करते हैं तो उससे रोजगार के लिए भी कोई खतरा नही होता और राष्ट्रीयकृत कपड़ा उद्योग जनता के हितों की रक्षा करते हुए विदेशी मुद्रा भी आय करने की योजना बना सकती है. लेकिन सरकारी नीति की दिशा इससे ठीक उलटी है. इस महत्वपूर्ण उद्योग को सरकार भ्रष्ट एवं मुनाफाखोर मालिकों को सौंपने की ठान ली है.

कपड़ा मजदूर एवं उनके यूनियनों को अपने नौकरी पर आनेवाले इस भयानक हमले का मुकाबला करना होगा. उन्हें क्लोजर व तालाबंदीरूपी इस नए हमले और फिर आधुनिकी-करण से आनेवाले हमले को रोकने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. लम्बे तालाबन्दियों के कारण पहले ही हजारों मजदूरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है—पर इस हमले को रोकने और शिकस्त देने के लिए समूचे मजदूरवर्ग की शक्ति को काम में नहीं लगाया गया. कम से कम अब तमाम यूनियनों को अपने सम्बद्धता को भूलकर एकजुट होना चाहिए, एक साझा रुख अपनाकर इस नए टेक्सटाइल नीति को शिकस्त देने के लिए कार्रवाई करना चाहिए क्योंकि यह नीति न केवल मजदूरों के हितों के खिलाफ है बल्कि आम जनता के हितों के भी खिलाफ है. अपने इस साझा संघर्ष में उन्हें हैंडलूम तथा पावरलूमों के मजदूरों को भी साथ लेना होगा क्योंकि उन्हें भी इस नीति के जरिए सजा दी जा रही है.

दसियों हजार मजदूरों को बर्बादी से बचाने तथा देश की जनता के लिए अच्छे कपड़े उपलब्ध कराने के लिए जो प्रतिरोध आंदोलन करना होगा उसके लिए मजदूरवर्ग को संगठित और लामबंद करने की दिशा में पहल सीटू यूनियनों की हो.